उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 19/2022–23

लक्ष्मण महतो.....अपीलकर्त्ता

बनाम

सुबोध यादव एवं अन्य.....उत्तरकारी।

आदेश

29.11.2022

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–16/2009–10 में पारित आदेश दिनांक–08.03.2022 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उल्लेखित मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

मौजा–कुरूमटाँड़ एक प्रधानी मौजा है। मौजा का अंतिम प्रधान दीपचन्द्र महतो थे। अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान दीपचन्द्र महतो के नाती है। अपीलकर्त्ता मौजा सिमरा में रहते है। फलस्वरूप संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत उत्तरकारी को आदेश दिनांक–09.04.10 द्वारा मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। इसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा उपायुक्त दुमका के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0–15/2010–11 दायर किया गया। इसमें तत्कालीन उपायुक्त द्वारा दिनांक–22.09.2015 को निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया गया तथा इस निदेश के साथ निम्न न्यायालय को पुर्नविचार हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया कि सर्व प्रथम धारा–06 के अन्तर्गत अपीलकर्त्ता के दावों पर विचार किया जाय, तत्पश्चात् पुनः निम्न न्यायालय में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए संथाल परगना कास्ताकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत अपीलकर्त्ता के दावों को अस्वीकृत करते हुए पुनः संथाल परगना परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ की गई एवं अंचल अधिकारी से जमाबंदी रैयतों की सूची मांग की गई।

अंचल अधिकारी द्वारा 17 जमाबंदी रैयतों की सूची समर्पित किया गया। कुल 17 जमाबंदी रैयतों में से दिनांक–08.03.2022 को 15 जमाबंदी रैयत उपस्थित होकर उत्तरकारी के पक्ष में हाथ उठाकर प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु समर्थन किया गया। इस आधार पर उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय में संथाल परगना कास्तकारी रूल्स 1950 के शिडयूल V के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता प्रधानी मौजा से 1–1$\frac{1}{2}$ कि0मीटर के अन्तर्गत रहता है। उनके दावों पर विचार पर विचार नहीं किया गया है। अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी प्रधान मौजा में नही रहता है। वह वृद्धा पेंशन धारी है एवं उनका उम्र 80 वर्ष है। वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तथा प्रधानी कार्य में सक्षम नहीं है। फलस्वरूप उनके दावों को अस्वीकृत किया गया एवं संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें मौजा के 17 जमाबंदी रैयतों में से 15 जमाबंदी रैयतों का समर्थन प्राप्त है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

उपायुक्त, दुमका के रे0मि0 अपील वाद सं0–15/10–11 में पारित आदेश दिनांक–22.09.15 के आलोक में धारा–6 के अन्तर्गत अपीलकर्त्ता के दावों को आदेश दिनांक–21.08.2021 द्वारा खारिज करते हुए संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 में परिवर्तित किया गया। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी से प्राप्त रैयतों की सूची के आधार पर दिनांक–08.03.2022 को मतदान कराया गया। जमाबंदी रैयतों की सूची के अनुसार जमाबंदी रैयतों की सं0–17 है जिसमें मतदान के समय 15 रैयत उपस्थित थे, जो दो तिहाई जामबंदी रैयतों से अधिक है। उपस्थित पक्षकार को जमाबंदी रैयतों की सूची से अवगत कराया गया तत्पश्चात् उपस्थित रैयतो से बारी–बारी से पक्षकार के मत के संबंध में प्रस्ताव पूछा गया जो हाथ उठाकार अपना समर्थन व्यक्त किये जिसमें उत्तरकारी सुबोध यादव को 15 (पन्द्रह) मत मिले। इस आधार पर उन्हें मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया।

प्रावधान

Sec-5 Appointment of village headman of a khas village.- On the application of a raiyat or of landlord of any khas village and with the consent of at least two-thirds of the jamabandi raiyats of the village ascertained in the manner prescribed, the Deputy Commissioner may declare that a headman shall be appointed for the village and shall then proceed to make the appointment in the prescribed manner.

ठाकुर हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य 1980 BLJR 448: 1980 BLJ 212 (DB) के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि :-

'authorities should have first considered the case of person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under Section 5 comes only after rejecting the hereditary claim.'

पुनः बाबुलाल हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य 1998 (1) PLJR 43 में स्थापित है कि :–

"the headman's duty it is self evident that for any meaningful discharge of those duties, it would be essential for the headman to permanently and regularly reside in the village in question and it would not be possible to discharge those duties satisfactorily in case he lived outside the village on government postings and came to the village only intermittently"

इसी प्रकार से Smt. Swarnlata Devi vrs State of Jharkhand and others, 2003 (3) JLJR 724. के वाद में माननीय उच्च न्यायालय के Division Bench द्वारा स्थापित किया गया है कि:–

"Section-6 refers to the appointment of a Headman of a village which is not a khas village, by providing that on the death of Headman, the same has to be reported within three month of the death to the Deputy Commissioner with a view to appoint a village Headman in the prescribed manner.

It is in this context that the clause in Schedule V are relevant and Clause 4 thereof clearly shows that the next of their of the deceased Headman, unless he is disqualified, shall be the successor Headman of the village. The procedure laid down in Rule 3 of the General Rules is seen to relate to the appointment of Headman on application under section 5 of the Act."

पुनः उक्त वाद में यह भी उल्लेखित है कि :–

"**Section-5** relates to the appointment of village Headman of a *khas* village. In the case on hand, the village is not *khas* village. Therefore, the office of the Pradhan, Prima facie, is hereditary in nature and the next heir who is fit, is entitled to be the headman, But Rule 3(5) of the General Rules

prescribes that in making the appointment of a Headman under section 5 or 6 of the Act, the Deputy Commissioner shall ,as far as, possible, follow the rules prescribed in Schedule V except where the rules, of which clasue 3 forms a part, expressly or by necessary implication, provides otherwise."

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता प्रधानी मौजा में निवास नहीं करते हैं। वह वृद्धापेंशन धारी है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष–2010 में उनकी उम्र 67 वर्ष थी। वर्त्तमान में उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है जिसके कारणवश वह प्रधान पद के कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। अतः उपर वर्णित ठाकुर हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य के वाद में माननीय न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपीलकर्त्ता का दावा उचित नहीं प्रतीत होता है। निम्न न्यायालय द्वारा तत्कालीन उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के आलोक में सर्वप्रथम अपीलकर्त्ता के संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के दावों को अस्वीकृत करने के पश्चात् ही नियुक्ति प्रक्रिया संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा–5 में परिवर्तित किया गया एवं अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित जमाबंदी रैयतों की 2/3 रैयतों की मतदान के आधार पर उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है, जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने एवं अपील आवेदन को खारीज करने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है। तथा अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.16 15:31:29 +05:30
Location: 169.254.227.244